## Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा की गई
	Government:-	अनुशंसा के आधार पर कार्यपालन अभियंता, छ.ग.
	(Adverse comments made by any	विद्युत पारेषण कम्पनी मर्या, कोरबा को सूरजपुर तथा
	officer or authority in Part-B or	बलरामपुर जिले के सूरजपुर तथा बलरामपुर वनमंडल
	Part-C or Part -D above should be	अंतर्गत लिलो ऑफ 132 के. व्ही.डी.सी.डी.एस.
	specifically commented upon)	विश्रामपुर-प्रतापपुर-बलरामपुर पारेषण लाईन के
	5	लोकेशन नं. 42/0 से टेपिंग कर 132 के.व्ही. राजपुर
		पारेषण लाईन के निर्माण हेतु सूरजपुर वनमंडल का
`		11.243 हे. तथा बलरामुपर वनमंडल का 6.961 हे.
	×	कुल 18.204 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम
		1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर राज्य शासन
		द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date:

19 -12-2016

Place:

Raipur

Name

Atul Kumar Shukla

Designation -

Secretary,

C.G. Govt.,

Forest Department